राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/6046 दिनांक : 16·12·2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), (पंचायत) राजस्थान।

विषय :– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 – इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल माह जनवरी–फरवरी 2020 में पूर्ण हो रहा है। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व इन पंचायतीराज का निर्वाचन कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे। राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33क के अनुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की वह डिजाईन होगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1(2)(1)/नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1613 दिनांक 13.05.2019 के द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित की गयी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का डिजाईन मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग संबंधी विभिन्न गतिविधियों, व्यवस्थाओं, मशीनों की जांच, मतदान हेतु तैयारी, उनके रख रखाव आदि के संबंध में की जाने वाली तैयारियों को आगे के पैराओं में वर्णित किया गया है। अतः निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(1) मशीनों की उपलब्धताः–

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित M-2 मॉडल की मशीने, जो भारत निर्वाचन आयोग से लोन पर ली गई है तथा राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित पोस्ट अपग्रेडेड–2006 MK-4 व पोस्ट अपग्रेडेड–2006 MK-5 मॉडल इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें (EVM) का उपयोग किया जाएगा।

(2) मशीनों की आवश्यकता का ऑकलन एवं आवंटनः–

आयोग द्वारा जिलेवार ईवीएम की आवश्यकता का आंकलन कर पत्रांक एफ. 3(56)स्टोर/ई.वी.एम./रानिआ/2014/5408 दिनांक 26.11.2019 के माध्यम से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को M-2 मॉडल की ईवीएम का आवंटन किया जा चुका है। अन्य मॉडल (MK-4, MK-5 & MPSV) की ईवीएम के आंवटन आदेश पृथक से जारी किए जाएगें। इसके अतिरिक्त यदि आपके जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या के अनुसार आवंटित ईवीएम कम है तो आप आयोग को तुरन्त अवगत कराए ताकि तदनुरूप आपकी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ईवीएम का आवंटन किया जा सके।

M-2/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनों का उपयोग करने की स्थिति में चुनाव के लिये अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक है, तो एक कन्ट्रोल यूनिट तथा एक बैलेट यूनिट काम आयेगी, परन्तु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NOTA सहित 16 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मशीनों के उपयोग की स्थिति में चुनाव के लिये नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 15 है, तो एक मतदान केन्द्र पर दोनों चुनाव करवाने के लिए एक कन्ट्रोल यूनिट एवं दो बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी, किन्तु यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NOTA सहित 15 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी। यह मशीनों की आवश्यकता के आंकलन का एक आधार होगा। इसके अतिरिक्त **15 प्रतिशत मशीनें आरक्षित एवं 5 प्रतिशत मशीनें प्रशिक्षण के** लिये अलग से रखी जावेगी। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण होने एवं जिले में स्थापित किए मतदान बूथों की संख्या के आधार पर मशीनों की आवश्यकता का अंतिम रूप से आंकलन कर ले।

(3) **वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भण्डारण** :– वोटिंग मशीनों के भण्डारण के लिए निम्नांकित निर्देशों की पालना की जावे।

(i) जहां तक संभव हो वोटिंग मशीनें कोषालय में रखी जाये। यदि कोषालय में भण्डारण संभव नहीं हो तो जिला स्तर पर निर्धारित स्ट्रॉग रूम में वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जायें। जहां वोटिंग मशीनें रखी जाये, वहां पर वोटिंग मशीनों के अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं रखी जाए।

(ii) आम तौर पर इन वोटिंग मशीनों को जिला मुख्यालय पर ही रखा जावे और किन्ही परिस्थितियों में यदि जिला मुख्यालय पर इनका भण्डारण संभव नहीं हो पाता है तो अन्य स्थान पर भण्डारण के लिये आयोग से पूर्व अनुमति ली जावे।

(iii) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल में एक से अधिक प्रवेश बिन्दु नहीं हो। यदि एक से अधिक दरवाजे या खिडकियां है तो उन्हे कंक्रीट/पक्की चुनाई से बन्द कर दिया जावे।

(iv) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल के प्रवेश द्वार को डबल लॉक प्रणाली से सुरक्षित किया जावे, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित दो पृथक अधिकारियों के द्वारा चाबियॉ संधारित की जावे। इन दोनों अधिकारियों में से एक अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट के स्तर से कम नहीं होगा।

(v) जिस कक्ष/हॉल में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जावे वह बाढ/पानी के रिसाव/दरार/लीकेज/टूटी खिडकियां आदि से पूर्ण रूप से मुक्त हो। भण्डारण कक्ष में किसी प्रकार की नमी/कीट/मूषक आदि नहीं होने चाहिये। अग्नि शमन के समुचित प्रबंध उपलब्ध रहने चाहिये। मशीनें पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से रखी जावें।

(vi) भण्डारण कक्ष पर पुलिस/सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी रखें।

(vii) मशीनों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) को खोलने/बन्द करने की प्रक्रिया, मशीनों को लाने–ले जाने, भौतिक सत्यापन करने एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इसकी सूचना और उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण अंकित करने के लिए एक लॉग बुक संधारित की जायें जो प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

(4) **चुनाव में उपयोग में आने वाली EVM का रजिस्टर एवं सॉफ्टवेयर में संधारणः–**

(i) ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में मशीनों का इन्द्राज करनाः– आम चुनावों में उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों से संबंधित समस्त सूचना जैसे कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं SDMM के यूनीक नम्बर जिले में उपलब्ध मशीन, मॉडल, संख्या, अधिकारी आदि की जानकारी जो स्थाई स्टॉक पंजिका में संग्रहित की जाती है उसकी समस्त सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में इन्द्राज की जावे। इसके लिए वेबसाइट esuchi.rajasthan.gov.in पर जिलों को दिये गये login-id एवं password के द्वारा उक्त सूचना अंकित करनी होगी। इस सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का प्रशिक्षण जिले के उपखण्ड अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर (MT) को नगरपालिका चुनाव में दिया जा चुका हैं। इसी सॉफ्टवेयर के जरिये प्रशिक्षण में काम आने वाली, चुनाव के उपयोग आने वाली ई.वी.एम. का जिलापरिषद् सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार रेन्डमाईजेशन का कार्य भी सम्पन्न किया जायेगा।

(ii) सभी वोटिंग मशीनों का इन्द्राज esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है अतः मशीनों से संबंधित सूचना का प्रिंट लेकर चुनाव से संबंधित संभी गतिविधियों का तिथि वार अंकन किया जायेगा अर्थात पंचायतीराज चुनाव के लिए मशीन प्राप्त होने से लेकर चुनाव बाद निर्वाचन याचिका के निस्तारण/मियाद समाप्त होने के पश्चात् मशीन को क्लीयर कर भण्डारण कक्ष में वापस जमा होने तक प्रत्येक गतिविधि का अंकन किया जायेगा।

(iii) esuchi.rajasthan.gov.in पर बाद की कार्यवाहियों के इन्द्राज यथा FLC चैकिंग तिथि, चैकिंग के बाद सुरक्षित स्टोर में रखने की तिथि, आवंटन का प्रकार यानि प्रशिक्षण हेतु आवंटन अथवा मतदान के उपयोग हेतु आवंटन, किस अधिकारी को, किस पंचायत के लिए आवंटन किया गया, मशीन खराब है, अथवा चालू स्थिति में है, मतदान की तिथि, मतदान के उपयोग में आई है तो किस निर्वाचन में अथवा आरक्षित रही है आदि का अंकन इस सॉफ्टवेयर में किया जावे। ठीक प्रकार से रिकॉर्ड संधारण करने के लिए जब–जब आवश्यकता हो तो इसका प्रिंट लेकर एवं हस्ताक्षर मय दिनांक रिकॉर्ड में रख लिया जावे।